भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3179

जिसका उत्तर 06.08.2026 को दिया जाना है

वाहनों पर एकाधिक कर

3179. डॉ. शर्मिला सरकार:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास विशेष रूप से होर्मुज जलडमरूमध्य से संबंधित इस संकट के दौरान ईंधन कर, सड़क कर और पथकर सहित वाहनों पर बहु-कर के बोझ को कम करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार पथकर प्लाजा पर निश्चित समयावधि से अधिक प्रतीक्षा समय होने पर पथकर को कम करने अथवा माफ करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (ग) भारत का संविधान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को मोटर वाहन कर लगाने के लिए कानून बनाने का अधिकार देता है।

ईंधन पर लगने वाला उत्पाद शुल्क या उपकर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है और इसका उपयोग रेलवे, ग्रामीण सड़कों, राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) आदि सहित अवसंरचना विकास और रखरखाव संबंधी गतिविधियों के लिए किया जाता है।सरकार, जब भी आवश्यक हो, पेट्रोलियम क्षेत्र में वित्तीय हस्तक्षेप करती है ताकि उपभोक्ताओं को अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव से बचाया जा सके। इनमें से कुछ हस्तक्षेप निम्नलिखित हैं:

- नवंबर 2021 और मई 2022 में केंद्र सरकार ने दो किस्तों में पेट्रोल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कुल 13 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 16 रुपये प्रति लीटर की कमी की, जिसका पूरा लाभ उपभोक्ताओं को दिया गया।
- मार्च 2024 में तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) ने पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों में 2 रुपये प्रति लीटर की कमी की।
- अप्रैल 2025 में पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में 2 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि का बोझ उपभोक्ताओं पर नहीं डाला गया।

- हाल ही में, पश्चिम एशिया संकट के कारण अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि को देखते हुए, सरकार ने उपभोक्ताओं पर पड़ने वाले बोझ को कुछ हद तक कम करने के लिए पेट्रोल और डीजल दोनों पर उत्पाद शुल्क में 10 रुपये प्रति लीटर की कमी की है।

राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) के किसी खंड के उपयोग के लिए मोटर वाहनों द्वारा प्रयोक्ता शुल्क यानी 'टोल' देय होता है और यह शुल्क राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के तहत लगाया जाता है।राष्ट्रीय राजमार्गों के शुल्क प्लाज़ा पर प्रयोक्ता शुल्क, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण और संग्रहण) नियम, 2008 के प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्गों पर प्रदान की जाने वाली सेवाओं या लाभों के लिए संगृहीत किया जाता है। केंद्र सरकार द्वारा प्रयोक्ता शुल्क संग्रह से प्राप्त राजस्व को भारत की संचित निधि (सीएफआई) में जमा किया जाता है और बजटीय आवंटन के माध्यम से उपलब्ध कराई गई धनराशि का उपयोग राष्ट्रीय राजमार्गों के रखरखाव, विकास और संवर्धन के लिए किया जाता है।

इसके अलावा, होर्मुज जलडमरूमध्य से संबंधित संकट के मद्देनजर प्रयोक्ता शुल्क को माफ करने/कम करने के लिए सरकार द्वारा वर्तमान में कोई प्रस्ताव/योजना विचाराधीन नहीं है।

यद्यपि, सरकार ने राजस्व आवश्यकताओं के बीच एक संतुलित दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राजमार्ग विकास और सड़क प्रयोक्ताओं पर बोझ कम करने के लिए समय-समय पर टोल नीति की समीक्षा की है। इसके अलावा, सड़क प्रयोक्ताओं पर बोझ कम करने के लिए, सरकार ने निम्नलिखित संशोधनों के माध्यम से विभिन्न प्रावधान किए हैं:

(i) सा.का.नि. 388 (अ) दिनांक 17.06.2025, गैर-वाणिज्यिक कारों, जीपों और वैनों के लिए वार्षिक पास की शुरुआत कर रही है। यह योजना 3000/- रुपये (तीन हजार रुपये) (वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 3,075/- रुपये) के भुगतान पर 200 एनएच शुल्क प्लाजा को पार (क्रॉस) करने या एक वर्ष की वैधता, जो भी पहले हो, प्रदान करती है।

(ii) सा.का.नि. 437(अ) दिनांक 01.07.2025 अधिक संरचना लंबाई वाले राजमार्गों के लिए प्रयोक्ता शुल्क को प्रतिबंधित करती है।

(iii) सा.का.नि. 734 (अ) दिनांक 03.10.2025 बिना फास्टैग वाले वाहनों या सक्रिय फास्टैग वाले वाहनों के लिए लागू प्रयोक्ता शुल्क में 2 गुना से 1.25 गुना तक की कमी करती है, बशर्ते प्रयोक्ता यूपीआई के माध्यम से भुगतान का विकल्प चुनता हो;

(iv) सा.का.नि. 01(अ) दिनांक 31.12.2025, 2 लेन पेव्ड शोल्डर राजमार्ग से 4 या अधिक लेन में उन्नयन करने के मामले में दरों में कमी करने के लिए।

(v) सा.का.नि. 107 (अ) दिनांक 04.02.2026 के अनुसार राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे के उपयोग के लिए देय शुल्क, जो कि इसकी अधिसूचित लंबाई के केवल एक भाग के लिए ही चालू है, लागू शुल्क के 1.25 गुना के बजाय एक गुना की दर से लगाया जाएगा।
(vi) राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण और संग्रहण) नियम, 2008 के अनुसार देश भर में राष्ट्रीय राजमार्गों के स्थानीय और नियमित प्रयोक्ताओं के लिए प्रयोक्ता शुल्क और मासिक पास में छूट के लिए पहले से ही विभिन्न प्रावधान मौजूद हैं।

सरकार टोल प्रणाली को अधिक कुशल, पारदर्शी और प्रयोक्ता के अनुकूल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, साथ ही साथ राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के विकास और रखरखाव के लिए संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भी प्रतिबद्ध है।

राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण और संग्रहण) नियम, 2008 में शुल्क प्लाजाओं पर प्रतीक्षा समय के आधार पर प्रयोक्ता शुल्क की छूट का कोई प्रावधान नहीं है।

तथापि, राष्ट्रीय राजमार्गों पर शुल्क प्लाजाओं पर सुचारू यातायात सुनिश्चित करने और भीड़भाड़ कम करने के लिए सरकार ने शुल्क प्लाजाओं पर भुगतान करने के लिए फास्टैग के माध्यम से रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (आरएफआईडी) तकनीक शुरू की। 15/16 फरवरी, 2021 की मध्यरात्रि से राष्ट्रीय राजमार्गों पर शुल्क प्लाजाओं की सभी लेन को फास्टैग लेन घोषित करने से शुल्क प्लाजाओं पर सुगम आवागमन, प्रतीक्षा समय में कमी और भीड़भाड़ से राहत मिली है, जिससे राष्ट्रीय राजमार्गों पर शुल्क प्लाजाओं की दक्षता में सुधार हुआ है। 2024-25 के दौरान राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह (एनईटीसी) कार्यक्रम के लिए किए गए प्रभाव आकलन से पता चलता है कि ईटीसी संचालन के तहत एक वाहन द्वारा शुल्क प्लाजा पार करने में लगने वाला औसत समय लगभग 40 सेकंड है, जबकि पहले की मैनुअल टोल प्रणाली के तहत प्रति वाहन 12.23 मिनट लगते थे, जो यातायात प्रवाह में उल्लेखनीय सुधार और भीड़भाड़ में कमी को दर्शाता है। इसके अलावा, शुल्क प्लाजाओं पर भीड़भाड़ की निगरानी जीआईएस-आधारित टोल भीड़भाड़ निगरानी समाधान के माध्यम से भी की जाती है।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने मल्टी-लेन फ्री फ्लो (एमएलएफएफ) इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रहण प्रणाली को लागू करने का निर्णय लिया है, जो एआई एनालिटिक्स के साथ ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (एएनपीआर) और आरएफआईडी-आधारित इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रहण (फास्टैग) सहित एकीकृत तकनीकों का उपयोग करके बाधा रहित टोलिंग की सुविधा प्रदान करता है, जहां वाहन प्रयोक्ताओं से प्रयोक्ता शुल्क बिना रुके, बिना धीमा किए या किसी दिए गए शुल्क प्लाजा लेन में रहे बिना वसूला जाएगा।
